न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

2021/486

राजस्व वाद संख्या 195/2021

वादी :–

1) केसर सिंह पुत्र फतेह सिंह

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) गुलाब सिंह पुत्र फतेह सिंह
2) अशोक सिंह पुत्र फतेह सिंह
3) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री केसर सिंह स्वंय वादी।
2. श्री गुलाब सिंह प्रतिवादीगण
3) तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 9/11/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं ....285.... रकबा ....2-16.... बीघा,

सरहद मौजा ....कुड़ीवाड़ा....तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ....कुंपसिंह....होने से राजस्व रेकर्ड में ....कुंपसिंह पुत्र फतेहसिंह.... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम ....केसर सिंह पुत्र फतेह सिंह.... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ....कुंप सिंह.... के स्थान पर ....केसर सिंह.... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:14:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम कुंप सिंह के स्थान पर केशर सिंह पुत्र फतेह सिंह दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच उप तहसीलदार जसोल तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 285 रकबा 2-16 बीघा, सरहद मौजा बुडीवाडा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम कुंप सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~[illegible]~~ बुडीवाडा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम कुंप सिंह दर्ज किया गया है वादी का सही नाम केशर सिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं .... 285 रकबा 2-16 बीघा, सरहद मौजा बुडीवाडा ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम कुंप सिंह पुत्र फतेह सिंह के स्थान पर केशर सिंह पुत्र फतेह सिंह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 9/11/2021 **को कोर्ट केम्प कोर्ट**................ **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:14:03 IST
Reason: SelfAttested